

## CAPF कार्मिकों में आत्महत्या

### प्रलिस के लयः

[केंद्रीय औद्योगक सुरकषा बल \(CISF\)](#), [केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल \(CAPF\)](#), [राषट्रीय अपराध रकॉर्ड बयुरो \(NCRB\)](#), [सेना](#), [नौसेना](#), [वायु सेना](#), [नई पेंशन योजना \(NPS\)](#), [पुरानी पेंशन योजना \(OPS\)](#), [रथ यात्रा](#), [मानसक सवास्थय चैपयिनशपि कार्यक्रम](#) ।

### मेन्स के लयः

CAPF में आत्महत्या और रोकथाम की रणनीति


[स्रोत: द हद्वि](#)

### चर्चा में कयों?

[केंद्रीय औद्योगक सुरकषा बल \(CISF\)](#) ने अपनी आत्महत्या दर को सफलतापूर्वक **40% तक कम** कर लया है, जो वर्ष **2023 में 25 मौतों** से वर्ष **2024 में 15** हो गई है ।

- **गृह मंत्रालय (MHA)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच 654 [केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल \(CAPF\)](#) कार्मिकों की [आत्महत्या](#) से मृतयु हुई ।
  - [CRPF](#) में 230, BSF में 174, CISF में 89, SSB में 64, ITBP में 54, असम राइफल्स में 43 और [NSG](#) में 3 जवानों ने आत्महत्या की ।

## TOTAL DEATHS BY SUICIDE IN THE CAPFs



Source: March 2023 report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs

नोट: [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में **राष्ट्रीय आत्महत्या दर 12.4 प्रति लाख** थी।

- आत्महत्या दर कर्सी दी गई जनसंख्या में **प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर आत्महत्याओं की संख्या** है।

## CAPF में आत्महत्या के क्या कारण हैं?

- **तनावपूर्ण तैनाती: कार्मिकों को प्रायः पर्याप्त अवकाश के बिना, [नकसल प्रभावित क्षेत्रों](#) और [जम्मू-कश्मीर](#) जैसे संघर्ष क्षेत्रों जैसे प्रतिकूल क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।**
  - सेना के समान **"पीस पोस्टिंग"** का अभाव मानसिक थकान को बढ़ाता है।
    - पीस पोस्टिंग का अर्थ है सैनिकों को **अपेक्षाकृत स्थिर और गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण में तैनात करना**, न कि संघर्ष क्षेत्रों या उच्च तनाव वाले क्षेत्रों जैसे सीमाओं या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।
- **पारिवारिक अलगाव:** परिवार से लंबे समय तक दूर रहने से **भावनात्मक तनाव** पैदा होता है और **भूमि विवाद या वित्तीय प्रबंधन** जैसे पारिवारिक मुद्दों को संबोधित करने में कठिनाइयाँ आती हैं।
  - आत्महत्या से मरने वाले **80% से अधिक सैनिकों की रिपोर्ट तब आई जब वे छुट्टी से घर लौटे थे।**
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:** मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियाँ सीमिति होने के साथ, मनोवैज्ञानिक सहायता लेना सैन्य बलों में **कलंकित** माना जाता है।
  - **महिला कार्मिकों** में आत्महत्या के प्रयास कम होते हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः साथियों द्वारा उपहास के डर से अपनी समस्याएँ साझा करने से बचते हैं।
  - अनेक व्यक्तियों के अनुसार **सेना, नौसेना और वायु सेना** ही वास्तविक सेना है, जिससे **CAPF सैनिकों** में और अधिक हतोत्साहन उत्पन्न होता है।
- **करियर में प्रगति संबंधी मुद्दे:** CAPF में **पदोन्नतिकी संभावना सीमिति** है। अनेक मामलों में कार्मिकों को **एक ही पद पर 10 वर्ष तक** कार्य करना पड़ता है।
  - **उच्च पद [IPS अधिकारियों](#)** के लिये आरक्षणित होते हैं और CAPF कार्मिकों को **नरिशा की अनुभूति होती है**, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है।
- **नौकरी से संतुष्टिका अभाव:** सेना कार्मिकों को अपने परिवारों के **स्वास्थ्य तथा उपचार** के लिये प्रमुख शहरों में **आरमी अस्पतालों की सुविधा** प्राप्त होती है और **CAPF कार्मिकों की तुलना में उनके परिवारों को आरमी कैम्प** में अधिक उत्पादों की उपलब्धता का विकल्प होता है।
  - CAPF **[नई पेंशन योजना \(NPS\)](#)** के अंतर्गत हैं तथा सशस्त्र बलों के कार्मिक **[पुरानी पेंशन योजना \(OPS\)](#)** के अंतर्गत आते हैं जिससे CAPF को अपेक्षाकृत **कम भुगतान मलित** है।
- **आग्नेयास्त्रों तक पहुँच:** सेवा के अंतर्गत **प्रदत्त हथियारों तक सरल पहुँच** होने से संकट के समय आवेगपूर्ण कार्य करने का जोखिम बढ़ जाता है।

# केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।

## असम राइफल्स (AR)

- स्थापना: वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
- पूर्ववर्ती उद्देश्य: ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- वर्तमान उद्देश्य:
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
  - भारत-चीन और भारत-म्यांमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- महत्वपूर्ण भूमिका:
  - भारत-चीन युद्ध, 1962
  - श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल्स को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है।

## सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- स्थापना: वर्ष 1965
- उद्देश्य:
  - पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
  - साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
  - ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- विंग: एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।

## केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

- स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना: वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- स्वतंत्रता के पश्चात्: वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- उद्देश्य: भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।

## भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- स्थापना: वर्ष 1962।
- उद्देश्य:
  - काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
  - भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है; जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है।

## राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- स्थापना: वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात्।
- उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आकस्मिक बल।
- टास्क ओरिएटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:
  - स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
  - स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

## सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- स्थापना: वर्ष 1963
- उद्देश्य:
  - भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
  - सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

## केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- स्थापना: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- उद्देश्य: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है।



## CRPF कार्रमियों में आत्महत्या की दर अधिक क्यों है?

- आँकड़े: गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में CRPF में 36 आत्महत्याएँ हुईं, जो 2019 में बढ़कर 40, 2020 में 54 और 2021 में 57 हो गईं। वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 43 हो गई।
- CRPF पर अत्यधिक नरिभरता: राज्य पुलिस बलों में प्रायः संकटों के समाधान के लिये संसाधनों, जनशक्ति और प्रशिक्षण की कमी होती है, जिसके कारण CRPF को आगे आना पड़ता है।
  - CRPF स्वतंत्र और नरिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है तथा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और ओडिशा में रथ यात्रा जैसे आयोजनों पर व्यवस्था बनाए रखती है।
  - इससे कार्यभार बढ़ जाता है और वशिराम के अवसर कम हो जाते हैं।

## CAPF कार्मिकों की आत्महत्या की रोकथाम हेतु सरकार की क्या पहले हैं?

- **टास्क फोर्स का गठन:** दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा जोखिम कारकों, रोकथाम रणनीतियों की पहचान करने और CAPF में आत्महत्याओं पर अनुसंधान करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
  - इसने CAPF की आत्महत्याओं के 3 प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान की जिनमें कार्य स्थितियाँ, सेवा शर्तें और व्यक्तिगत/व्यक्तिगत मुद्दे शामिल हैं।
- **ई-अवकाश प्रणाली:** CRPF का संभव ऐप कार्मिकों को अवकाश के लिये शीघ्र आवेदन करने में सक्षम बनाता है, तथा अवकाश अनुमोदन ई-अवकाश पोर्टल के माध्यम से संसाधित होता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** CRPF ने जवानों के भावनात्मक कल्याण में सहायता के लिये मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को तैनात किया है।
  - CRPF में कार्मिकों के सहयोगियों को एक-दूसरे की नगिरानी और सहायता करने के लिये "साथी" के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिये एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
  - **CISF ने पर्यवेक्षकों के लिये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम** शुरू किया है।
    - CISF की पहल को प्रोजेक्ट मन द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, यह 24/7 टेली-परामर्श और व्यक्तिगत सत्र प्रदान करती है।
  - BSF ने परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एम्स, नई दिल्ली के साथ साझेदारी की, जिसके लिये समर्पित बजट आवंटित किया गया।
- **परिवार-केंद्रित हस्तक्षेप:** अवसाद और मानसिक रोगों के मामलों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है, तथा परिवार के सदस्यों को प्रभावित व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति देने का प्रयास किया जाता है।

## आगे की राह

- **कार्यभार प्रबंधन:** यह सुनिश्चित करना कि तनाव कम करने के लिये कार्मिकों को समय-समय पर शांतपूरण, गैर-शतुरतापूर्ण वातावरण में तैनात किया जाए।
  - **वधिकि प्रवर्तन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण** और जनशक्ति में वृद्धि करना, ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- **नौकरी से संतुष्टि:** उन्नति के लिये स्पष्ट राह बनाते हुए यह सुनिश्चित करना कि विरिष्ठ पदकेवल आईपीएस अधिकारियों के लिये आरक्षण नहीं है, अर्थात् CAPF के भीतर पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना अनिवार्य हो।
- **पारिवारिक सहायता कार्यक्रम:** परिवार के सदस्यों को कार्मिकों के साथ रहने या कार्यभार के दौरान परिवार से मिलने के अधिक अवसर प्रदान करना।
- **नीतिगत समर्थन:** यह सुनिश्चित करना कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, अवकाश प्रणाली और कैरियर प्रगति से संबंधित मौजूदा नीतियों CAPF कार्मिकों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समायोजित करने के लिये अधिक लचीली हों।
- **कौशल विकास:** सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिये CAPF कार्मिकों को नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करना। जैसे, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि।

QUESTION: \_\_\_\_\_

**प्रश्न:** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आत्महत्या की उच्च दर के लिये कौन से कारक जम्मेदार हैं और इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

QUESTION: \_\_\_\_\_

**प्रश्न 1.** कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डफिंस (THAAD)" क्या है? (2018)

- (a) इज़रायल की एक राडार प्रणाली
- (b) भारत का घरेलू मिसाइल प्रतियोगी कार्यक्रम
- (c) अमेरिकी मिसाइल प्रतियोगी प्रणाली
- (d) जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/suicide-among-capf-personnel>

